कार्यालय प्रमागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel Fax No. 01382 228467 | E-mail dfo lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 2437 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 31 / 01 2023

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा।

विषयः- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अंतर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा के पुलिण्डा-तच्छली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2022/एफ0सी0/1310 दिनांक 30.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/49/2022/एफ0सी0/1310 दिनांक 30.12.2022. द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अंतर्गत पुलिण्डा-तच्छली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

(1).शर्त संख्या 03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र (3.735) है० सिविल सोयम ग्राम उर्तिच्छा खसरा संख्या 4336 में प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण हेतु तृतीय वर्ष 2023-24 के अनुसार निर्धारित दर 448791.00 रुपये प्रति है० के अनुसार 1676234.00 रुपये की धनराशि जमा की जानी है।

(2). शर्त संख्या 05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.8675 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये एन०पी०वी० भारत सरकार की पत्र संख्या 5.3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 के अनुसार (670140.00/है0) 670140x1.8675=1251486.45 रुपये की धनराशि जमा की जानी है।

(3). यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना है।

(4). उक्त समस्त धनराशि कैम्पा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0 25229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) के ब्लॉक-11 भूतल सी.जी0 कॉम्पलैक्स फेज-1 लोदी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।

(5). शर्त संख्या 13 के अनुसार आई0आर0सी0 मान दण्डो के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दोनो किनारो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण/पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(6). अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-256421जी075070 दिनांक 02.06.2020 द्वारा हस्तान्तरित सिविल क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु आने वाले व्यय को भी आपको जमा करना होगा। कृपया इस आशय का प्रमाण-पत्र देने का कष्ट करें।

अतः उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों से सम्बन्धित शर्तों से सम्बन्धित अनुपालन आख्या भी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन से पूर्व कोई भी निर्माण कार्य आरम्भ न किया जावे।

भवदीय,

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 2437 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।